भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या - 3950**

उत्तर देने की तारीख: 25.03.2025

**दिव्यांगजन हितैषी अवसंरचना**

3950. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत उपलब्ध उपबंधों के बावजूद सार्वजनिक और निजी अवसंरचना में सुलभता मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो स्टेशनों, बसों और रेलवे नेटवर्क में टियर-2 और टियर-3 शहरों में पहुंच में अंतर को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक भवनों की सुलभता संबंधी संपरीक्षा से केवल अनुपालन प्रतिवेदनों की बजाय वास्तविक अवसंरचनात्मक सुधार हों;

(घ) स्मार्ट सिटी सहित नए विकास को दिव्यांगजनों के लिए वास्तव में समावेशी बनाना सुनिश्चित करने के लिए सुलभता संबंधी दिशानिर्देशों के साथ शहरी नियोजन नीतियों को किस हद तक बेहतर ढंग से संरेक्षित किया जा सकता है; और

(ङ) जवाबदेही बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसडीआईपीडीए (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना) और सुगम्य भारत अभियान जैसी योजनाओं के अंतर्गत दिव्यांगजन हितैषी अवसंरचना के लिए आवंटित निधि के प्रभावी ढंग से उपयोग के लिए क्या तंत्र उपलब्ध हैं?

**उत्तर**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ङ): चूंकि, "राज्य में निहित या उसके आधिपत्य में आने वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन" राज्य सूची का विषय है, केन्द्र सरकार सुगम्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की सहायता करने में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त संगठनों/संस्थानों को इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के सृजन के लिए गैर-आवर्ती सहायता-अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, केंद्र

सरकार भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए नियमित समीक्षाओं के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निकट समन्वय कर रही है।

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत बनाए गए आरपीडब्ल्यूडी नियमों में दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के संबंध में नागर विमानन के सुगम्यता मानकों और दिशानिर्देशों, बस बॉडी कोड के सुगम्यता मानकों तथा भारतीय रेलवे स्टेशनों की सुगम्यता और स्टेशनों पर सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एआईसीटीई मॉडल पाठ्यक्रम में बी. प्लान और बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) के छात्रों के लिए समावेशी शहरी नियोजन और सुगम्य निर्मित वातावरण संबंधी पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के साथ साझेदारी की है। वास्तुकला परिषद के सहयोग से सुगम्यता पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

सिपडा (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना) और सुगम्य भारत अभियान जैसी योजनाओं के तहत दिव्यांगजन-अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित निधि के प्रभावी रूप से उपयोग को सुनिश्चित करने और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए, यह विभाग नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

*****